



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २९]

भोपाल, शुक्रवार. दिनांक १५ जुलाई १९८८—आषाढ़ २४, शके १९१०

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| (क) (१) मध्यप्रदेश विधेयक, | (२) प्रवर समिति के प्रतिवेदन | (३) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (१) अध्यादेश, | (२) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (३) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (१) प्रारूप नियम, | (२) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद् के अधिनियम

भोपाल, दिनांक २९ अक्टूबर १९८७

क्रमांक १२१—अ(वि.स.)८७.— भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र असाधारण, भाग २, अनुभाग १—क, दिनांक ३ फरवरी, १९८४ में प्रकाशित किये गये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, विकास बैंक अधिनियम, १९८१ (१९८१ का संख्यांक ६१), कर्ण पट्ट और वर्ण अस्थि (चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग का प्राधिकार) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक २८), चिट फण्ड अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ४०), भूमिगत रेल (सकर्म-सन्निर्माण) संशोधन अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ४१), राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ४३), औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ४६), राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा—भागीरथी—हुगली नदी इलाहाबाद—हल्दिया खण्ड) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ४९), अमृतसर आइल वर्क्स (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ५०), रबड (संशोधन) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ५४), सिविक स्टेट बैंक (शेयर्स का अर्जन) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ६२), सड़क परिवहन नियम (संशोधन) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ६३), औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ६८), आंध्र साइंटिफिक कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, १९८२ (१९८२ का संख्यांक ७१), अफ्रीकी विकास बैंक अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक १३), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक १४), महाप्रशासक (संशोधन) अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक १८), चंडीगढ़ विद्युत् क्षेत्र अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक ३२), पंजाब विद्युत् क्षेत्र अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक ३३), सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष शक्तियां अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक ३४), दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, १९८३ (१९८३ का संख्यांक ४३), के हिन्दी अनुवाद, जो राजभाषा अधिनियम, १९६३ (१९६३ का संख्यांक १९), की धारा ५ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन उनके प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझे जायेंगे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. डी. शुक्ल, सचिव

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1988

क्र. एफ. 1-8-चौतीस-1-88.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची एक में, प्रवर्ग "क" में जीव वैज्ञानिक (बायोलॉजिस्ट) से संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
मुख्य प्रशासनिक तथा लेखा अधिकारी	1	वर्ग एक	रु. 2650—75—2800—100—4200.

- (2) अनुसूची दो में, प्रविष्टि जीव वैज्ञानिक (बायोलॉजिस्ट) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मुख्य प्रशासनिक तथा लेखा अधिकारी	1	..	100 प्रतिशत	..	..	..

- (3) अनुसूची चार में, प्रविष्टि सहायक यंत्री (मैकेनिकल) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाय, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी के रूप में दो वर्ष का अनुभव तथा लेखा प्रशिक्षित.	मुख्य प्रशासनिक तथा लेखा अधिकारी	तद्व	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. सरकार, अपर मुख्य सचिव

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1988

क्र. एफ. 1-8-चौतीस-1-88.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ.—1-8-चौतीस-1-88, दिनांक 7 जुलाई 1988 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. सरकार, अपर मुख्य सचिव.

Bhopal, the 7th July 1988

No. F-1-8-XXXIV-1-88.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering (Gazetted) Service Rules, 1980, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) in Schedule I, in category 'A' after the entry relating to Biologist, the following entry shall be added, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
Chief Administrative and Accounts Officer	1	Class-I	Bs. 2650—75—2800—100—4200"

- (2) in Schedule II, after the entry Biologist, the following entry shall be added, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Chief Administrative and Accounts Officer	1	Nil	100%			

- (3) In Schedule IV, after the entry Assistant Engineer (Mechanical) the following entry shall be added, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrative Officer	2 Years experience as Administrative Officer and Account trained	Chief Administrative and Accounts Officer.	do.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. K. SARKAR, Addl. Chief Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जून 1988

एफ १(ए)-६०-७५-१५४२-स.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०९ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, १९८५ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,

अनुसूची तीन में प्रिन्सिपल उप संचालक/महाप्रबंधक/विकास अधिकारी के सामने कालम (५) में मद क्रमांक (एक) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उसके समतुल्य विश्वविद्यालय से बांझिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातुकर्म, औद्योगिक वा रसायनिक इंजीनियरिंग वा औद्योगिक रसायन शास्त्र में उपाधि वा भू-विज्ञान वा रसायन शास्त्र वा भौतिक शास्त्र (एक विशेष विषय के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स सहित) वा वाणिज्य वा अर्थशास्त्र वा गणित में स्नातकोत्तर उपाधि वा सैन्य विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस वा उसके समतुल्य”

F. 1(a)67-75-XI-C.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh State Industries (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1985 namely:—

AMENDMENT

In the said rules,

in Schedule III in Column (5 for item number (i) against the entry Deputy Director/General Manager/Development Officer, the following item shall be substituted, namely:—

“(i) Degree in Mechanical, Electrical, Electronics, Metallogical, Industrial or Chemical Engineering or industrial Chemistry or Post-Graduate degree in Geology or Chemistry or Physics (with Electronics as a Special Subject) or Commerce or Economics or Mathematics or Master of Science in Military Science from a recognized University or equivalent.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. के. सिंह, अपर सचिव.